राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– न–5(11) पुविशा/संस्था/च.श्रे.कर्म.भर्ती/2017/ 4667-75 दिनांकः– 03-05-18

विज्ञप्ति

वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–1) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प–4(35) गृह–1/2016 दिनांक 23.06.2017 एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक न–5(2)पुलिस फोर्स /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2016/4286 दिनांक 03.11.2017 के क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टैलीजेन्स, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में सीधी भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्वीपर) सामान्य वर्ग के दो (02) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है। उक्त रिक्त पद वेतनमान पीबी–1–5200–20200 ग्रेड पे 1700 में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 की मेट्रिक लेवल एल–1 में होगा। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन काल दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त पदों का नियत फिक्स मानदेय रू 17700/– प्रतिमाह देय होगा।

1. राष्ट्रीयताः– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो अथवा उक्त नियमों के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने की आर्हता रखता हो।

2. आयुः– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट होगी। विधवा व तलाकशुदा महिला के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी। विधवा को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र एवं तलाक शुदा महिला के मामले में तलाक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

3. शैक्षणिक योग्यताः–अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं साफ–सफाई का अनुभव होना चाहिए।

4. शारीरिक योग्यताः– आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थय अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसकी सेवा सम्पादित करने में बाधक हो। चयन होने के उपरान्त आवेदक को राज्य सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. चरित्रः–आवेदक को दो उत्तरदायी व्यक्तियो (जो आवेदक के रिश्तेदार न हो) द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित हो तो आवेदक को पूर्ण विवरण शपथ पत्र पर अंकित करना होगा। उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्टेट से प्रमाणित होना आवश्यक है।

6. जाति प्रमाण–पत्रः–अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी आवश्यक है। प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर एवं मोहर स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

7. न्यू पेंशन योजना :–नियुक्ति हेतु योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी की प्रोबेशन अवधि समाप्ति के पश्चात राजस्थान सरकार के नियमानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडीकल अटेन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि संबंधित सभी नये नियम लागू होंगे।

8. सन्तान सम्बन्धी प्रमाण पत्रः–राज्य सरकार के नियमानुसार जिन अभ्यर्थियों के दिनांक 01.06.2002 या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

9. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्रः– राज्य सरकार के नियमानुसार विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करेंगे। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नही होने की स्थिति में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. दहेज न लेने बाबत शपथ पत्रः– समस्त विवाहित अभ्यर्थियों (स्त्री/पुरूष) को इस आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें कि उन्होंने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

11. एक से अधिक पत्नि/पति न होने बाबत शपथ पत्रः– समस्त विवाहित अभ्यर्थी (स्त्री/पुरूष) इस आशय का शपथ पत्र 50/– रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें कि उनके विवाहित पत्नि/पति के अतिरिक्त कोई जीवित पत्नी/पति नहीं है।

12. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथिः– आवेदक को विज्ञप्ति में दिए गये प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेजों के दिनांक 21.05.2018 को शाम 06 बजे तक इस कार्यालय में जरिये डाक अथवा व्यक्तिशः प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त माना जावेगा।

13. साक्षात्कारः– आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में जो आवेदन पत्र बाद जॉच सही पाये जायेंगे उन आवेदकों की साक्षात्कार हेतु सूची दिनांक 28.05.2018 को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी जो कार्यालय समय में देखी जा सकेगी तथा इन आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 31.05.2018 को प्रातः 10:00 बजे से इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी जयपुर में आयोजित किया जावेगा जिसकी सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नही की जावेगी। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा।

14. आवेदन पत्रः– अभ्यर्थी को संलग्न प्रारूप (अनुसूची–ई) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर अभ्यर्थी का सत्यापित पासपोर्ट साइज का कलर फोटो चस्पा हो। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कही सेवारत हो तो उसका प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र के साथ अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेजों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेः–

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
3. जाति प्रमाण–पत्र की प्रति।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. विवाह पंजीयन बाबत शपथ पत्र।
7. दहेज न लेने बाबत शपथ पत्र।
8. एक से अधिक पति/पत्नि न होने बाबत शपथ पत्र।
9. जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
10. विधवा महिला को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र एवं तलाक शुद्वा महिला के मामले में तलाक का प्रमाण–पत्र की प्रति

नोटः– उक्त विज्ञप्ति सम्बन्धी आवेदन प्रारूप विभाग की वेवसाईट www.police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय/इन्टैलीजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रचार) सीआईडी (सीबी), जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय एवं स्थानीय एक–एक प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
6. निदेशक जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय एवं स्थानीय एक–एक प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
7. जिला नियोजन अधिकारी, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड विशेष शाखा मुख्यालय जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर

राज्य विशेष शाखा राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वीपर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(विज्ञप्ति कमांक.............................)

आवेदक का नवीनतम पास पोर्ट साइज सत्यापित फोटो मय हस्ताक्षर

1. नाम आवेदक :–.. ....
2. पिता /पति का नाम :–.. ....
3. जाति /वर्ग :–..
4. आरक्षित वर्ग का नाम (यदि लागू हों) :–.. ....
5. स्थाई पता मय मोबाईल नं. :–..
6. वर्तमान पता :–..
7. आवेदक के वर्तमान में जीवित कुल संतानों की संख्याः–

(क) दिनांक 31.05.2002 तक जन्म लिए हुएः– ....

(ख) दिनांक 31.05.2002 के उपरान्त जन्म लिए हुएः–..

8. निकट पुलिस स्टेशन :–..
9. जन्म तिथि (अंको में) :–..
   (शब्दो में) :–..
10. दिनांक **01.01.2019** को आयु :– वर्ष...............माह............दिन............
11. शैक्षणिक योग्यता :– ....
12. वर्तमान नियुक्ति यदि कोई हों

पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम :–..

13. अग्रेषण अधिकारी का नाम पदनाम

यदि अभ्यार्थी पूर्व में सेवारत है। :– ....

14. राष्ट्रीयता :–..
15. नियोजन कार्यालय का पंजीयन

कमांक व इसकी वैधता तिथि :–..

16. पूर्व में कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व हुआ है, यदि हां तो विवरणः–

उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है उक्त सूचना में से किसी के गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वंतत्र होगा।

स्थानः–

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर